प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 107/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Jayesh Ameta Add. Titardi, Girwa, Udaipur

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः..................

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329183470839993 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8114883735 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि प्रथम अपील संख्या पर कार्य नहीं किया गया है। अतः संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जाए। आज दिनांक 18.09.2024 तक दस्तावेज नहीं दिए गए।

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को पुनः जरिये पत्र क्रमांकः रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/107/24/1064–65 दिनांक 18.09.2024 से लिखा गया। जिसकी पालना में सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 2140 दिनांक 24.09.24 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय हाजा की पत्रावली संख्या 133/2020 के संबंध में सूचना चाही गई है। अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना शून्य है। जो कि कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.लो.सू.अ./2024/2135 दिनांक 24.09.2024 से प्रार्थी को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब स्वीकार किया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.09.2024 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय की पत्रावली संख्या 133/20 से संबंधित सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किस प्रकार शून्य है, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से अस्पष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना नियमानुसार 21 दिवस में निशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर